



हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Central University of Himachal Pradesh

कैंप कार्यालय, एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम के निकट, धर्मशाला, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश - 176215
Camp Office, Near HPCA Cricket Stadium, Dharamshala, District Kangra (HP)-176215
Phone No. 01892-229574; Fax No. 01892-229331; E-mail : registrar.cuhp@gmail.com

फा.सं. : 4-1(सीएस)/हि.प्र.के.वि./संस्थापना/2010/खण्ड-II/ 5315-27 दिनांक 09 सितंबर, 2019

सूचना

1. यूजीसी नियमन, 2018 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार करियर प्रगति योजना (CAS) के अंतर्गत अकादमिक वेतन लेवल-10 से अकादमिक वेतन लेवल-11 में प्लेसमेंट हेतु योग्य सहायक प्रोफेसरों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
2. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-फॉर्म उचित मामध्यम द्वारा (Through Proper Channel) समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित मूल रूप में (Signed Hard Copy) कुलसचिव कार्यालय को दिनांक 11.10.2019 (शुक्रवार) तक पहुंचना अनिवार्य है।

(डॉ. संजीव शर्मा)

कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)

पृष्ठांकन : समसंख्या

दिनांक : 09 सितंबर, 2019

निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित :

1. प्रति-कुलपति, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धौलाधार परिसर, धर्मशाला।
2. समन्वयक, सप्त सिंधु विभागा परिसर, हि.प्र.के.वि., देहरा, जिला कांगड़ा।
3. विभिन्न स्कूलों के सभी अधिष्ठाता, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
5. वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धौलाधार परिसर, धर्मशाला।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धौलाधार परिसर, धर्मशाला।
7. परीक्षा नियंत्रक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालय, धर्मशाला।
8. विभिन्न विभागों के सभी विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
9. विभिन्न केन्द्रों के सभी निदेशक, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय।
10. पुस्तकालयाध्यक्ष, हि.प्र.के.वि., अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, हि.प्र.के.वि.- कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करने के अनुरोध सहित।
12. अनुभाग अधिकारी (सा.प्र.), कुलसचिव कार्यालय, हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला।
13. कुलपति, हि.प्र.के.वि. के विशेष कार्य अधिकारी - कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)



हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
कैंप कार्यालय, धर्मशाला, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश - 176215
CAMP OFFICE, DHARAMSHALA, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH - 176215
Tel. 01892-229330; Fax 01892-229331; Website: www.cuhimachal.ac.in

**यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार करियर प्रगति योजना (CAS) के अंतर्गत
पदोन्नति हेतु निष्पादन आधारित मूल्यांकन सिस्टम**

भाग क : सामान्य सूचना शैक्षणिक पृष्ठभूमि

1. नाम (बड़े अक्षरों में):
2. पिता /माता/पति का नाम :
3. जन्म तिथि:
4. लिंग:
5. वैवाहिक स्थिति:
6. राष्ट्रीयता:
7. कृपया यदि श्रेणी एसी/एसटी/ओबीसी हो तो बताएं:
8. पत्राचार का पता:
9. स्थायी पता:
10. दूरभाष/मोबाइल सं. :
11. ईमेल आईडी:
12. विभाग/केन्द्र:
13. स्कूल:
14. शैक्षणिक योग्यताएं:
15. प्रथम बार पदभार ग्रहण करने की तिथि:
16. वर्तमान पदनाम:
17. स्तर (7वें वेतन आयोग के अनुसार) :
18. वर्तमान पद में नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि:
19. अगले स्तर में पदोन्नति के लिए पात्रता (7वें वेतन आयोग के अनुसार) :
20. पदोन्नति के लिए पात्रता की तिथि जिसके लिए आप पात्र हो :

21. शैक्षणिक योग्यताएं (मैट्रिक से स्नातकोत्तर तक)

परीक्षाएं	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्त अंकों की प्रतिशतता	डिविज़न/ श्रेणी / ग्रेड	विषय

22. शोध संबंधी डिग्रियां :

डिग्रियां	नाम	अवार्ड की जाने की तिथि	विश्वविद्यालय

23. हिप्रकेवि में कार्यभार ग्रहण करने से पहले नियुक्तियां :

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय का नाम	पदनाम	पद की प्रकृति (अस्थायी / तदर्थ / स्थायी)	स्तर	पढ़ाई गई कक्षाएं		अनुभव			सौंपे गए कार्यों की प्रकृति
				यूजी	पीजी	कब से	कब तक	कुल (वर्ष/माह)	

24. हिप्रकेवि में नियुक्ति के बाद ग्रहण किए गए पद :

पदनाम	विभाग	दिनांक		लेवल (सातवें वेतनमान के अनुसार)
		से	तक	

25. शिक्षण अनुभव की अवधि :

पीजी कक्षाएं (वर्षों में):

यूजी कक्षाएं (वर्षों में):

26. विषय के अंतर्गत विशेषज्ञता क्षेत्र:

27. पोस्ट डॉक्टरल शोध यथा शोध वैज्ञानिक, शोध एसोसिएट इत्यादि अनुभव:

शोध परियोजना

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक	अवधि	फंडिंग एजेंसी	कुल स्वीकृत अनुदान

28. परामर्श परियोजनायें

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक	फंडिंग एजेंसी	स्वीकृत अनुदान	अवधि	
				से	तक

29. भाग लिये गये अकादमिक स्टाफ कॉलेज ओरिएंटेशन / रिक्रेशर पाठ्यक्रम

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	स्थान	अवधि	प्रायोजक एजेंसी

भाग-ख : शैक्षणिक / शोध स्कोर

1. शिक्षण:(पढ़ाई गई कक्षाओं की संख्या / कुल सौंपी गई कक्षायें) x 100% (पढ़ाई गई कक्षाओं में अनुशिक्षण, प्रयोगशाला सत्र और अन्य शिक्षण संबंधी कार्यकलाप शामिल हैं)

क्र.सं.	शैक्षणिक वर्ष / सेमेस्टर-1	पढ़ाये गये पाठ्यक्रम का नाम एवं कोड	क्रेडिटों की संख्या	पढ़ाई गई कक्षाओं की संख्या	सौंपी गई कक्षाओं की संख्या	वास्तव में ली हुई कक्षाओं की प्रतिशतता

क्र.सं.	शैक्षणिक वर्ष / सेमेस्टर-2	पढ़ाये गये पाठ्यक्रम का नाम एवं कोड	क्रेडिटों की संख्या	पढ़ाई गई कक्षाओं की संख्या	सौंपी गई कक्षाओं की संख्या	वास्तव में ली हुई कक्षाओं की प्रतिशतता

2. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में छात्रों संबंधी कार्यकलाप / शोध कार्यकलाप में सहभागिता:

क. प्रशासनिक जिम्मेदारियां यथा विभागाध्यक्ष, अध्यक्ष/अधिष्ठाता/निदेशक/समन्वयक, वार्डन, केंद्र अधीक्षक आदि

क्र.सं.	निभाई गई प्रशासनिक जिम्मेदारियां	अवधि (कब से कब तक)

ख. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा सौंपी गई परीक्षा एवं मूल्यांकन ड्यूटियां और परीक्षा प्रश्न-पत्र मूल्यांकन:

क्र.सं.	परीक्षा (सत्रांत / मध्यावधि)	सेमेस्टर एवं शैक्षणिक वर्ष	भूमिका (अन्वीक्षण / मूल्यांकनकर्ता)	अध्ययन कार्यक्रम	कोर्स का नाम एवं कोड

ग. छात्रों से संबंधित सह-पाठ्यचर्या, एक्सटेंशन एवं क्षेत्र आधारित कार्यकलाप यथा छात्र क्लब, करियर परामर्श, अध्ययन दौरे, विद्यार्थी सेमिनार और अन्य कार्यक्रम, सांस्कृतिक, खेलकूद, एनसीसी, एनएसएस एवं सामुदायिक सेवायें।

क्र.सं.	कार्यकलाप	भूमिका (संयोजक, आयोजन सचिव आदि)	अवधि (कब से कब तक)

घ. सेमिनार/सम्मलेन/कार्यशाला, अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कार्यकलाप का आयोजन

क्र.सं.	कार्यकलाप	भूमिका (संयोजक, आयोजन सचिव आदि)	अवधि (कब से कब तक)

ड. पी.एचडी. शोधार्थियों के दिशामार्गदर्शन में सक्रिय सहभागिता से संबंधित साक्ष्य

क्र.सं.	पी.एचडी. शोधार्थी का नाम	विभाग / विश्वविद्यालय	सुपरवाइजर / को-सुपरवाइजर	अवार्ड की गई / चल रही डिग्री

च. राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित लघु अथवा बृहद शोध परियोजनाओं का संचालन

क्र.सं.	परियोजना का शीर्षक	अवधि	फंडिंग एजेंसी	स्वीकृत कुल अनुदान

छ. पीअर समीक्षा सहित अथवा यूजीसी द्वारा दिये गये जर्नलों की सूची में कम से कम एक एकल अथवा संयुक्त प्रकाशन

क्र.सं.	प्रकाशन का शीर्षक	लेखक	जर्नल	खंड, अंक एवं पृष्ठ सं.

(झ) शैक्षणिक पृष्ठभूमि का सार अंक (स्कोर) : (कृपया यूजीसी अधिनियम 2018 अनुलग्नक-II, तालिका-1 देखें)

वर्ष -1 20.....	वर्ष -2 20.....	वर्ष -3 20.....	वर्ष -4 20.....	वर्ष -5 20.....
(अनुलग्नक-) पृष्ठ: से तक)	(अनुलग्नक-) पृष्ठ: से तक)	(अनुलग्नक-) पृष्ठ: से तक)	(अनुलग्नक-) पृष्ठ: से तक)	(अनुलग्नक-) पृष्ठ: से तक)

शोध एवं शैक्षणिक योगदान

(मूल्यांकन की समस्त अवधि के दौरान)

(कृपया यूजीसी अधिनियम 2018 अनुलग्नक-II, तालिका-2 देखें)

1. क. (जर्नलों में प्रकाशित शोध पत्र) यूजीसी द्वारा यथा अधिसूचित जर्नल:

क्र. सं.	लेख का नाम	जर्नल का नाम एवं प्रकाशक	क्या आप मुख्य लेखक हैं	सह-लेखकों का नाम	इम्पैक्ट फैक्टर	स्कोर (अंक)
कुल						

ख. पीअर समीक्षा की गई/संदर्भित जर्नलों में प्रकाशित शोध पत्र :

क्र. सं.	लेख का नाम	जर्नल का नाम एवं प्रकाशक	क्या आप मुख्य लेखक हैं	सह-लेखकों का नाम	इम्पैक्ट फैक्टर	स्कोर (अंक)
कुल						

2. शोध पत्रों के अतिरिक्त प्रकाशन:

क. लिखी गई पुस्तक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है

क्र. सं.	पुस्तक का शीर्षक	प्रकाशक का नाम/माह, वर्ष	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक /राष्ट्रीय प्रकाशक	स्कोर (अंक)
कुल				

संपादित पुस्तक में अध्याय:

क्र. सं.	पुस्तक का शीर्षक	योगदान किए गए अध्यायों की संख्या	अध्याय का शीर्षक	लेखक	पुस्तक के प्रकाशक का नाम/माह, वर्ष	स्कोर (अंक)
कुल						

राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा प्रकाशित पुस्तक के संपादक :

क्र. सं.	पुस्तक का शीर्षक	पुस्तक के प्रकाशक का नाम/माह, वर्ष	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक / राष्ट्रीय प्रकाशक	स्कोर (अंक)
कुल				

ख. योग्य संकाय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य

क्र. सं.	पुस्तक का शीर्षक	पुस्तक के प्रकाशक का नाम/माह, वर्ष	पुस्तक/अध्याय अथवा शोध पत्र	स्कोर (अंक)
कुल				

3. आईसीटी के माध्यम से शिक्षण अधिगम, शिक्षाशास्त्र एवं विषयवस्तु का निर्माण तथा नवीन एवं नवोन्वेषी पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यचर्या का विकास

क्र. सं.	शैक्षणिक/शोध कार्यक्लाप	मॉड्यूलों/व्याख्यानो आदि की संख्या	स्कोर (अंक)
क.	नवोन्वेषी शिक्षाशास्त्र का विकास		
ख.	नवीन पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रमों को तैयार करना		
ग.	मूक्स (MOOCs) 4 चतुर्थांश में संपूर्ण मूक्स (MOOCs) का विकास (क्रेडिट कोर्स) (कम क्रेडिट वाले मूक्स के मामले में 5 अंक/क्रेडिट) मूक्स (MOOCs) (4 चतुर्थांश में विकसित) मूक्स (MOOCs) के प्रत्येक मॉड्यूल के लिए प्रति मॉड्यूल/व्याख्यान विषयवस्तु लेखक/ विषय विशेषज्ञ (प्रति चतुर्थांश में कम से कम एक) मूक्स (MOOCs) के लिए पाठ्यक्रम समन्वयक (4 क्रेडिट कोर्स) (कम क्रेडिट वाले मूक्स के मामले में 2 अंक/क्रेडिट)		
घ.	ई-कंटेंट (विषयवस्तु) सम्पूर्ण पाठ्यक्रम/ई-बुक के लिए 4 चतुर्थांश में ई-कंटेंट का विकास प्रति मॉड्यूल (4 चतुर्थांश में विकसित) ई-कंटेंट सम्पूर्ण पाठ्यक्रम/पत्र/ई-बुक के लिए ई-कंटेंट के विकास में योगदान (कम से कम एक चतुर्थांश) सम्पूर्ण पाठ्यक्रम/पत्र/ई-बुक के लिए ई-कंटेंट का संपादक		

4. (क) शोध मार्गदर्शन :

शोध मार्गदर्शन	जमा कराई गई थीसिस	अवार्ड की गई डिग्री	स्कोर (अंक)
एम. फिल.			
पी.एचडी.			

(ख) पूर्ण शोध परियोजनाएं:

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	अवधि	फंडिंग एजेंसी	कुल स्वीकृत अनुदान	स्कोर (अंक)
कुल					

ग. चल रही शोध परियोजनाएं:

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	अवधि	फंडिंग एजेंसी	कुल स्वीकृत अनुदान	स्कोर (अंक)
कुल					

घ. परामर्श कार्य:

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	फंडिंग एजेंसी	जुटाई गई राशि (लाख रु. में)	अवधि		स्कोर (अंक)
				से	तक	

5. (क) पेटेंट

पेटेंट/प्रौद्योगिकी स्थानांतरण/उत्पाद/प्रक्रिया	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय	स्कोर (अंक)

(ख) नीतिगत दस्तावेज (यूएनओ/यूनेस्को/विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार आदि को जमा कराई गई)

नीतिगत दस्तावेज	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य	स्कोर (अंक)

(ग) अवार्ड/फेलोशिप:

अवार्ड/फेलोशिप का नाम	प्रायोजक एजेंसी	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य/ विश्वविद्यालय स्तर	दिनांक	स्कोर (अंक)

6.	आमंत्रित व्याख्यान / संसाधक / सेमिनार / सम्मलेन / सम्मलेन कार्यवाहियां में पूर्ण शोध पत्र प्रस्तुतीकरण (सेमिनार/सम्मलेन में प्रस्तुत शोध पत्र और सम्मलेन कार्यवाहियां में प्रकाशित पूर्ण शोध पत्र को एक ही स्थान पर गणना में लिया जाएगा)		
	अंतर्राष्ट्रीय (देश के बाहर)		
	अंतर्राष्ट्रीय (देश के अंदर)		
	राष्ट्रीय		
	राज्य/विश्वविद्यालय		

शैक्षणिक/शोध में शैक्षणिक निष्पादन सूचक (एपीआई) - सार चार्ट

क्र.सं.	शैक्षणिक / शोध कार्यकलाप	दावा किया गया अंक (स्कोर)	सत्यापित अंक (स्कोर)
1.	पीअर समीक्षित अथवा यूजीसी सूचीबद्ध जर्नल में शोध पत्र		
2.	शोध पत्र के अतिरिक्त प्रकाशन		
3.	आईसीटी के माध्यम से शिक्षण अधिगम, शिक्षाशास्त्र एवं विषयवस्तु का निर्माण तथा नवीन एवं नवोन्वेषी पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यचर्या का विकास		
4.	शोध मार्गदर्शन		
5.	पेटेंट		
6.	आमंत्रित व्याख्यान / संसाधक / सेमिनार / सम्मलेन / सम्मलेन कार्यवाहियां में पूर्ण शोध पत्र प्रस्तुतीकरण (सेमिनार/सम्मलेन में प्रस्तुत शोध पत्र और सम्मलेन कार्यवाहियां में प्रकाशित पूर्ण शोध पत्र को एक ही स्थान पर गणना में लिया जाएगा)		

भाग-ग अन्य प्रासंगिक सूचना

कृपया किसी अन्य क्रेडेंशियल, महत्वपूर्ण योगदान, प्राप्त पुरस्कार आदि की जानकारी प्रदान करें, जिसका विवरण पहले नहीं प्रदान किया गया है।

क्र.सं.	विवरण (कृपया जहां प्रासंगिक हो वर्ष, महत्व इत्यादि को इंगित करें)

नोट: शैक्षणिक / अनुसंधान अंक (स्कोर) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018 पर आधारित होगा।

(इस प्रपत्र में प्रदान दी गई जानकारी के समर्थन में दस्तावेज रूप में साक्ष्य संलग्न करें)

मैं यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि यहाँ प्रदान की गई सभी जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

दिनांक:

स्थान:

आवेदक का पूरा नाम एवं पदनाम

इस आवेदन में प्रदान किये गये विवरण की जाँच की गई है और कार्यालय रिकॉर्ड से सत्यापित किया गया है तथा सही पाया गया है।

(अधिष्ठाता)

(विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक)

कुलसचिव कार्यालय द्वारा सत्यापित

1. कुल शिक्षण अनुभव:
2. नियुक्ति की तिथि:
3. स्थायीकरण की तिथि:
4. पात्रता की तिथि (स्तर 11/12/13/14):

(कुलसचिव)

(सहायक कुलसचिव)

(अनुभाग अधिकारी)

(कार्यालय सहायक)

स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति / चयन समिति रिपोर्ट :

(कुलपति)

(अधिष्ठाता)

(विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक)

[विषय विशेषज्ञ (विशेषज्ञों)]

तालिका 1

विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के शिक्षकों हेतु आकलन मानदंड और पद्धति

क्रम संख्या	क्रियाकलाप	ग्रेडिंग मानदंड
1	शिक्षण : (पढ़ाई गई कक्षाओं की संख्या/सॉपी गई कुल कक्षाएं) X 100 प्रतिशत (पढ़ाई गई कक्षाओं में अनुशिक्षण, प्रयोगशाला और शिक्षण संबंधी अन्य क्रियाकलाप शामिल हैं)	80 प्रतिशत और अधिक - अच्छा 80 प्रतिशत से कम लेकिन 70 प्रतिशत से अधिक - संतोषजनक 70 प्रतिशत से कम - संतोषजनक नहीं
2	विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों के छात्र संबंधी क्रियाकलापों/ शोध क्रियाकलापों में भागीदारी - (क) प्रशासनिक दायित्व जैसे कि मुखिया, अध्यक्ष / संकाय अध्यक्ष / निदेशक/ समन्वयक/ वार्डन आदि। (ख) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा सॉपी गई परीक्षा और मूल्यांकन ड्यूटी अथवा परीक्षा पत्र मूल्यांकन हेतु उपस्थित होना। (ग) छात्रों से संबंधित पाठ्यक्रम से जुड़ी, विस्तार और क्षेत्र आधारित क्रियाकलापों जैसे कि विद्यार्थी क्लब, कैरियर परामर्श, अध्ययन दौरा, छात्र संगोष्ठी और अन्य क्रियाकलाप, सांस्कृतिक, खेलकूद, एनसीसी, एनएसएस और समाज सेवा। (घ)संगोष्ठियों/ सम्मेलन/ कार्यशालाएं अन्य महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय संबंधी क्रियाकलापों का आयोजन (ङ) पीएचडी छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्रिय भागीदारी के साक्ष्य। (च) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित लघु और बृहद अनुसंधान परियोजनाओं का आयोजन। (छ) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सूची के जर्नल में कम से कम एक एकल या संयुक्त प्रकाशन।	अच्छा - कम से कम 3 क्रियाकलापों में भागीदारी संतोषजनक - 1 से 2 क्रियाकलाप असंतोषजनक - किसी भी क्रियाकलाप में भाग नहीं लेना/ कोई भी क्रियाकलाप नहीं करना। नोट : क्रियाकलापों की संख्या क्रियाकलापों की वृहद श्रेणी के अंतर्गत या सभी श्रेणियों को मिलाकर हो सकती है।

समग्र ग्रेडिंग :

बेहतर - शिक्षण में अच्छा है और क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित क्रियाकलापों में संतोषजनक या अच्छा है।

अथवा

संतोषजनक - शिक्षण में संतोषजनक और क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित क्रियाकलापों में अच्छा या संतोषजनक।

संतोषजनक नहीं है- यदि समग्र ग्रेडिंग में न तो अच्छा हो और न ही संतोषजनक हो।

नोट: क्रम संख्या 1 और 2 में दिये गए क्रियाकलापों की ग्रेडिंग के आकलन के प्रयोजन हेतु, ऐसी सभी अवधियों जो शिक्षकों द्वारा मातृत्व अवकाश, बाल परिचर्या अवकाश, अध्ययन छुट्टी, चिकित्सा छुट्टी जैसी विभिन्न प्रकार की वैतनिक छुट्टियों पर व्यतीत की गई हैं और ग्रेडिंग आकलन में से प्रतिनियुक्ति को शामिल नहीं किया जाएगा। शिक्षक का शेष अवधि के लिए आकलन किया जाएगा और शिक्षक की ग्रेडिंग करने के लिए आकलन की सम्पूर्ण अवधि में से इन अवधियों को हटा दिया जाएगा। उपरोक्त वर्णित ऐसी छुट्टियों/ प्रतिनियुक्ति के कारण शिक्षक को सीएस के अंतर्गत प्रोन्नति में शिक्षण दायित्वों से उनकी अनुपस्थिति के कारण कोई नुकसान नहीं होगा बशर्त ऐसी छुट्टियों/ प्रतिनियुक्ति इन विनियमों में निर्धारित सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करके सक्षम प्राधिकारियों के पूर्व-अनुमोदन से और मूल संस्थान के अधिनियमों, संविधियों और अध्यादेशों के अनुसार ली गई हों।

तालिका- 2

शैक्षणिक/ शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसे: प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि।)

क्रम सं.	शैक्षणिक / शोध क्रियाकलाप	विज्ञान/ अभियांत्रिकी/ कृषि/ चिकित्सा/ पशु-चिकित्सा/ विज्ञान संकाय	भाषा/ सामाजिक/ पुस्तकालय/ शिक्षा/ शि्षा/ वाणिज्य/ प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विधाएं	मानविकी/कला/ विज्ञान/ शारीरिक
1	समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र	08 प्रति पत्र	10 प्रति पत्र	
2	प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)			
	(क) लिखी गई पुस्तकें, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया :			
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	12	
	राष्ट्रीय प्रकाशक	10	10	
	संपादित पुस्तक में अध्याय	05	05	
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	10	10	
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	08	08	
	(ख) योग्य संकाय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य			
	अध्याय अथवा शोध पत्र	03	03	
	पुस्तक	08	08	
3	आईसीटी के माध्यम से शिक्षण ज्ञान- अर्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास			
	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	05	05	
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या/ पाठ्यक्रम	02 प्रति पाठ्यचर्या/ पाठ्यक्रम	
	(ग) एमओओसी			
	चार चतुर्थांश में पूर्ण एमओओसी का विकास (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एमओओसी के मामले में 05 अंक/ क्रेडिट)	20	20	
	प्रति मॉड्यूल/व्याख्यान एमओओसी (चार चतुर्थांश में विकसित)	05	05	
	विषयवस्तु लेखक/ एमओओसी के प्रत्येक मॉड्यूल हेतु विषयवस्तु विशेषज्ञ (कम से कम एक चतुर्थांश)	02	02	
	एमओओसी हेतु पाठ्यक्रम समन्वयक (4 क्रेडिट पाठ्यक्रम) (कम क्रेडिट के एमओओसी के मामले में 02 अंक/क्रेडिट)	08	08	
	(घ) ई- विषयवस्तु			
	पूर्ण पाठ्यक्रम / ई- पुस्तक हेतु चार चतुर्थांशों में ई-विषयवस्तु का विकास	12	12	
	प्रति मॉड्यूल ई- विषयवस्तु (चार चतुर्थांश में विकसित)	05	05	
	समग्र पाठ्यक्रम/ पत्र/ ई-पुस्तक में ई- विषयवस्तु मॉड्यूल के विकास में योगदान (कम से कम एक चतुर्थांश)	02	02	

	संपूर्ण पाठ्यक्रम/ पत्र/ ई-पुस्तक हेतु ई-विषयवस्तु का संपादक	10	10
4	(क) शोध मार्गदर्शन		
	पीएचडी	10 प्रति प्रदान की गई उपाधि 05 प्रति जमा किए गए शोध प्रबंध	10 प्रति प्रदान की गई उपाधि 05 प्रति जमा किए गए शोध प्रबंध
	एम.फिल./ स्नातकोत्तर शोध प्रबंध	02 प्रति प्रदान की गई उपाधि	02 प्रति प्रदान की गई उपाधि
	(ख) पूरी की गई शोध परियोजनाएं		
	10 लाख से अधिक	10	10
	10 लाख से कम	05	05
	(ग) जारी शोध परियोजनाएं :		
	10 लाख से अधिक	05	05
	10 लाख से कम	02	02
	(घ) परामर्शत्री सेवाएं	03	03
5	(क) पेटेंट		
	अंतर्राष्ट्रीय	10	10
	राष्ट्रीय	07	07
	(ख) *नीतिगत दस्तावेज (सं.रा.सं./ यूनेस्को/ विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार जैसे किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय/संगठन को सौंपे गए)		
	अंतर्राष्ट्रीय	10	10
	राष्ट्रीय	07	07
	राज्य	04	04
	(क) पुरस्कार / अध्येतावृत्ति		
	अंतर्राष्ट्रीय	07	07
	राष्ट्रीय	05	05
6	*अतिथि व्याख्यान/ संसाधक/ संगोष्ठियों/ सम्मलेनों में पत्र प्रस्तुतीकरण/ सम्मलेन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र प्रस्तुत करना (संगोष्ठियों/ सम्मलेनों में प्रस्तुत किए गए पत्र और सम्मलेन कार्यवाहियों में पूर्ण पत्र के रूप में प्रकाशित पत्रों की गणना सिर्फ एक बार की जाएगी)		
	अंतर्राष्ट्रीय (विदेश)	07	07
	अंतर्राष्ट्रीय (देश के भीतर)	05	05
	राष्ट्रीय	03	03
	राज्य/ विश्वविद्यालय	02	02

सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल (थॉमसन रॉयटर्स की सूची के अनुसार निर्धारित किए जाने वाले प्रभाव कारक) :

- प्रभाव कारक रहित संदर्भित जर्नल में प्रकाशित पत्र – 5 अंक
- 1 से कम प्रभाव कारक वाले पत्र – 10 अंक
- 1 और 2 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 15 अंक
- 2 और 5 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 20 अंक
- 5 और 10 के बीच प्रभाव कारक वाले पत्र – 25 अंक
- 10 से अधिक प्रभाव कारक वाले पत्र – 30 अंक

(क) दो लेखक : प्रत्येक लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत

(ख) दो से अधिक लेखक : प्रथम /मूल/संवादी लेखक हेतु प्रकाशन के कुल मान का 70 प्रतिशत और प्रत्येक संयुक्त लेखकों हेतु प्रकाशन के कुल मान का 30 प्रतिशत

संयुक्त परियोजनाएं : मूल शोधकर्ता और सह- शोधकर्ता में से प्रत्येक को 50 प्रतिशत प्राप्त होगा